यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग** के माह 02.2015 से 11.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.12.2018 से 13.11.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

**भाग-।**

**1). परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं विनीत राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04.02.15 से 07.02.15 तक श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2005 से 01/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2015 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

**2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारपरत व्यवसायो जैसे इलेक्ट्रिशियन, वायरमेन, फिटर आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे रुद्रप्रयाग क्षेत्र शामिल है।

**ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(रु लाख में)**

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थापना | गैर-स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 1 | 2015-16 | 0.00 | 0.00 | 99.39 | 80.20 | 18.91 | 17.37 | - | 20.73 |
| 2 | 2016-17 | 0.00 | 0.00 | 101.47 | 83.80 | 34.75 | 32.97 | - | 19.45 |
| 3 | 2017-18 | 0.00 | 0.00 | 99.87 | 95.77 | 37.36 | 36.52 | - | 4.94 |
| 4 | 2018-19 | 0.00 | 0.00 | 122.20 | 64.91 | 50.28 | 31.02 | - | -- |

**(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:**

**लागू नही**

**(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक आवशेष | वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन ) | विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि ) | कुल प्राप्ति | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2016-17 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2017-18 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2018-19 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

**iii).** इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग

**iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** वर्तमान लेखापरीक्षा 02.2015 से 11.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2016 एवं 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

**v).** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग - 2 'ब'

**प्रस्तर:1- योजना की अवमुक्त धनराशि रु 2.50 करोड़ से उच्चीकरण का निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति काफी धीमी पाया जाना।**

भारत सरकार की पीपीपी मोड के तहत उच्चीकरण हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत संचालित योजना की लेखापरीक्षा मे प्रगति की संवीक्षा की गयी। जारी गाइडलाइंस के अनुसार Institute Management Committee (आईएमसी) नाम से स्वतंत्र समिति गठित की जानी थी जिसके अध्यक्ष प्राइवेट पार्टनर 'National Hydro Power Corporation Limited तथा सचिव आईटीआई के प्रधानाचार्य एवं दोनों पक्षो के मनोनीत सदस्य पाये गए। इकाई को Upgradation हेतु भारत सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप मे रु. 2.50 करोड़ की धनराशि वर्ष 2008 मे अवमुक्त की गयी। योजना की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत पायी गयी:-

(रु लाख मे )

| क्रम संख्या | विवरण | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित व्यय संबंधी निर्धारित वित्तीय लक्ष्य योजना के प्रारम्भ मे वर्ष 2017-18 तक | क्यूपीआर के अनुसार वास्तविक प्रगामी व्यय योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2017-18 तक (QPR upto sep 2018) | अन्तर धनराशि जिसे निर्धारित अवधि मे व्यय नही किया जा सका |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Civil Work | 140.00 | 49.39 | 90.61 |
| 2 | Tools & Equipments | 157.00 | 34.14 | 122.86 |
| 3 | Consumables & Training Material | 29.00 | 2.71 | 26.29 |
| | | | योग | 239.76 |

जांच मे आगे पाया गया कि उच्चीकरण के लिए आवश्यक भूमि एवं भवन योजनाअंतर्गत इकाई का चयन के पूर्व से ही इकाई के पास मौजूद था तथा प्रयोजन के लिए जारी राशि के समय ही वर्ष 2008-09 मे आईएमसी का गठन करते हुये प्राइवेट पार्टनर का चयन कर लिया गया था, परंतु अपग्रेडशन का कार्य इन 10 वर्षो मे अत्यंत धीमी पायी गयी तथा वर्ष 2017-18(क्यूपीआर 2018) तक civil work, tools & equipment, Training Material के किसी भी वित्तीय निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नही किया गया । अपग्रेडेशन का कार्य सुस्त होने की पुष्टि इस बात से भी हुई कि वर्ष 2017-18 तक consumables and training material पर निर्धारित लक्ष्य का मात्र 10% ही व्यय किया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि विभिन्न निर्माण एजेंसियो से समय समय पर negotiation किया गया परन्तु शासकीय हित मे निर्णय होने में विलम्ब होता रहा, वर्तमान मे उच्चीकरण हेतु भवन निर्माण का कार्य आरईएस को हस्तगत कर दिया गया है भवन निर्माण के पश्चात शीघ्र ही नए ट्रेड का संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं, जब उच्चीकरण के लिए इकाई के पास योजना के प्रारम्भ से भवन- भूमि मौजूद था, योजना की समस्त राशि समय से अवमुक्त कर दी गयी थी तथा प्राइवेट पार्टनर का चयन भी प्रारम्भ मे हो गया था, फिर भी इकाई लक्ष्य प्राप्त करने मे विफल रही। यह विभागीय उदासीनता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

**<u>भाग - 2 'ब'</u>**

**प्रस्तर:2- वित्तीय नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना धनराशि रु 6.88 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण पाया जाना।**

**अ).** कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि पत्रांक 660-64/डीटीईयू/0202/003-07/2017-18, दिनांक 16.01.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखाशीर्ष 2230-03-003-07 के अंतर्गत मानक मद-26 'मशीन और साज-सज्जा/उपकरण' मे धनराशि रु 6.89 लाख का आवंटन निम्न प्रतिबंधों के तहत किया गया

1. आहरित किए जाने वाले देयकों के क्रयादेश अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत संस्थान स्तर पर अनुमन्य अधिकारो के अंतर्गत अथवा तत्समय वैध डीजीएसएनडी रेट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये निर्गत किए गए हो।
2. क्रयादेश के सापेक्ष प्राप्त साज सज्जा क्रयादेश की विशिष्टियों के अनुरूप प्राप्त की गयी हो तथा साज सज्जा संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हो।
3. शासकीय व्यय हेतु अधिप्राप्ति नियम 2017 तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमो का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

उक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य मे आवंटित धनराशि रु 6.89 लाख के सापेक्ष मद संख्या 26 के अंतर्गत धनराशि रु 5.69 लाख के टूल्स एवं मशीनों हेतु विभिन्न फ़र्मों (रिदम इंटरप्राइसेस तथा ग्लोबल इन्फोकोम) को भुगतान किया गया। इकाई ने बताया कि संबन्धित मशीनों एवं उपकरणो के क्रय पद्यति/क्रय प्रक्रिया (दर संविदा) का निर्णय उनके निदेशालय द्वारा लिया गया जिसकी पत्रावली का रखरखाव यूनिट मे अप्रस्तुत पाया गया। जबकि उक्त शर्तो के अनुसार आपूर्ति आदेश जारी करने से पूर्व इकाई द्वारा क्रय आदेश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना था परन्तु लेखापरीक्षा मे सामग्रियों के आपूर्ति के संबंध मे इकाई ने कोई क्रय आदेश की पत्रावलिया उपलब्ध नही पायी गयी तथा बिना क्रय आदेश सुनिश्चित किए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा फ़र्मों को भुगतान किया जाना पाया गया।

**ब).** लेखाशीर्ष 2230-03-003-02 के अंतर्गत मानक मद-12 ' कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण' मे धनराशि रु 1.32 लाख का आबंटन के सापेक्ष रु 1.31 लाख का व्यय `किया गया। जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा प्रारम्भ की गयी क्रय प्रक्रिया को बीच मे ही निदेशालय के निर्देश पर निरस्त करते हुये उक्त कुल धनराशि के सापेक्ष टुकड़ो टुकड़ो मे धनराशि रु 1.19 लाख का व्यय हेतु क्रय प्रक्रिया निदेशालय द्वारा पूरी कराई गयी तथा उसमे से शेष धनराशि की क्रय प्रक्रिया इकाई द्वारा पूरी की गयी तथा फ़र्म को भुगतान इकाई द्वारा बिना क्रय आदेश सुनिश्चित किए निदेशालय द्वारा रु 1.19 लाख की क्रय प्रक्रिया के सापेक्ष डीडीओ द्वारा फ़र्म को भुगतान किया जाना पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा प्रकरण संख्या 'अ' के संबंध मे उत्तर दिया गया कि फ़र्मों को क्रय आदेश निदेशालय द्वारा जारी किए गए थे एवं संस्थान द्वारा उच्च अधिकारीयों के निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। एवं प्रकरण संख्या 'ब' के संबंध मे उत्तर दिया कि निदेशालय के मौखिक आदेश के अनुसार क्रय की प्रारम्भिक प्रक्रिया निरस्त की गयी, निर्णय उच्चाधिकारी के अनुसार लंबित बिल के भुगतान हेतु मद से व्यय किया गया। क्रयदेश निदेशालय द्वारा प्राप्त नही है आपूर्ति आदेश जारी किए गए।

उत्तर मान्य नही है क्यूकी डीडीओ द्वारा सामग्रियों के भुगतान मे पारदर्शिता नही बरती गयी। जब डीडीओ द्वारा क्रय आदेश की पत्रावली नही प्राप्त की गयी तो उन्होने फ़र्मों से प्राप्त सामगियों की सुनिश्चितता किस आधार पर की, वो लेखापरीक्षा मे स्पष्ट नही हो पाया जो अधिप्राप्ति नियमावली के नियम संख्या 3(1) & 3(8) के अनुसार पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता का उल्लंघन का प्रकरण पाया गया।

## भाग-III

### विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| SS/163/2014-15 | शून्य | 01 | - |

### विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | | | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN | | | |
| SS/163/2014-15 | शून्य | 01 | - | संबंधित प्रकरण निर्माणाधीन भवन के कारण आख्या प्रेषित किया जाना प्रतीक्षित है। व्यवसाय संचालित होने के पश्चात अनुपालन आख्या निस्तारण हेतु प्रधान महालेखाकार को प्रेषित की जायेगी। | | |

## भाग-IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

................................. शून्य ....................................

## भाग-V

## आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

**अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य**

2). **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

| नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|
| श्री सी॰ एल॰मेवाड़ | प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग | लेखापरीक्षा अवधि से 31.03.2015 तक |
| श्री डी॰ एस॰ नेगी | प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग | 01.04.2015 से 03.08.2017 तक |
| श्री आर॰ के॰ वर्मा | प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग | 04.08.2017 से 15.09.17 तक |
| श्री नितिन कुमार शर्मा | प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग | 15.09.2017 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाये।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.**